



जिरी नगरपालिका स्थानीय राजपत्र

जिरी नगर कार्यपालिकाबाट प्रकाशित

खण्ड: ७ संख्या १ २०८० साल असार १६ गते

भाग - १

जिरी नगरपालिका

आर्थिक ऐन-२०८०

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने, तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बनेको

ऐन,

प्रस्तावना : जिरी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम जिरी नगरपालिकाको बाह्रौं नगर सभाले यो ऐन बनाई लागु गरेको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :** (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०८०” रहेको छ ।

(२) यो ऐन सम्वत २०८० साल श्रावण १ गते देखि जिरी नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. **सम्पत्ति कर :** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको घर र सो घरले चर्चेको जग्गामासम्पत्ति कर लगाई बाँकी जग्गामा दफा ३ बमोजिम मालपोत लगाइनेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “घरले चर्चेको जग्गा” भन्नाले घरले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल र अधिकतम सो क्षेत्रफल बराबरको थप जग्गासम्म सम्भक्तनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने सम्पत्ति करको दर अनुसूची (१) मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

आ.ब.२०८०/०८१ को सम्पत्तिकर पहिलो चौमासक भित्र बुझाएमा लाग्ने कर रकममा १० प्रतिशत छुट दिईनेछ । अघिल्लो आ.ब.को बक्यौता सम्पत्तिकर चालु आ.ब. को पहिलो चौमासिकभित्र बुझाएमा १० प्रतिशत मात्र जरिवाना लगाई असुल गरिनेछ । त्यसभन्दा पछि बुझाएमा २० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । विगत आ.ब.हरुको कर रकममा बार्षिक २० प्रतिशतका दरले जरिवाना लगाईने र असुल उपर गरिनेछ । तर आ.ब. २०८०/०८१ को पहिलो चौमासिक अवधिभित्र बुझाउन बाँकी सबै बक्यौता रकम बुझाएमा जरिवाना पुरै छुट हुनेछ ।

३. **मालपोत :** दफा २ बमोजिम घर र सो ले चर्चेको जग्गा बाहेक बाँकी जग्गामा अनुसूची २ बमोजिमको दरमा मालपोत लगाई असुल गरिनेछ ।

४. **घर जग्गा बहाल कर :** नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तबरले बहालमा दिएकोमा सो संरचना व्यवसायिक प्रयोग भएको

भए बहाल रकमको १०% र आवासीय रुपमा प्रयोग भएको भए बहाल रकमको ५% का दरले बहाल कर लगाई असूल गरिनेछ ।

५. **व्यवसाय कर :** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई व्यवसाय दर्ता गरी व्यवसाय इजाजत प्रदान गरिनेछ । इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरूले वार्षिक रुपमा व्यवसाय कर चुक्ता गरी व्यवसाय नविकरण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदान गरिने व्यवसाय दर्ता दस्तुर तथा नविकरण दस्तुर र व्यवसाय करको दर व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न लाग्ने लगानीको आधारमा अनुसूची (३) मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको इजाजत विना नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न पाइने छैन ।

(५) यस दफा बमोजिमको कर उठाउनका लागि आवश्यक परेमा नगर कार्यपालिकाले कार्यविधि स्वीकृत गरी लागु गर्न सक्नेछ ।

६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर :** नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन,खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूची(४) बमोजिमजडिबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तुकर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

७. **विज्ञापन कर :** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापन,प्रचारप्रसार आदिका लागि राख्न दिने साइनबोर्ड, ग्लोबोर्ड, स्टल आदिमा अनुसूची(५) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कर उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी लागु गर्न सक्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम नगरपालिकाले उठाएको विज्ञापन कर वापतको रकम प्रचलित कानून बमोजिम बागमती प्रदेश सरकारसंग बाँडफाँड गरिनेछ ।

८. **बहाल विरौटी शुल्क :** (१) नगरपालिकाले आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका देहाय बमोजिमका सम्पत्तिहरूमा अनुसूची (६) बमोजिमको दरमा बहाल विरौटी शुल्क लगाउने र उठाउनेछ ।

(क) आफुले निर्माण गरेका वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा वा अन्य सम्पत्ति,

(ख) आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउको जग्गामा भएका अस्थाई टहरा, छाप्रा वा पसल वा आवास,

(ग) नगरपालिकाले तोकेको सार्वजनिक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा थापेका पसल,

९. **सेवा शुल्क, दस्तुर :** (१) नगरपालिका ले आफ्नो क्षेत्रभित्रसञ्चालनमा रहेका वा हुँने केवलकार, ट्रेकिङ्ग,प्याराग्लाइडिङ्ग लगायतका स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

(२) नगरपालिकाले निर्माण वा संचालन तथा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे वापत सम्बन्धित सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई सेवा शुल्क, दस्तुर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ :

(क) फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई, ढल निकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा सुविधा,

(ख) शौचालय, पार्क, पौडी पोखरी, गेष्टहाउस, पर्यटकीय स्थल, छात्रावास, हाटबजार, पशु बधशाला, शबदाहगृह र त्यस्तै अन्य सुविधा,

(ग) सडक, बस पार्क, ढल, पुल जस्ता सेवा,

(घ) अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै विषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा,

(ङ) नगरपालिका ले प्रदान गर्ने सिफारिश सम्बन्धी कुनै सेवा,

(३) नगरपालिका ले एफ.एम. रेडियो, “घ” बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत, विद्यालय स्थापना, ट्युसन तथा कोचिङ्ग सेन्टर, औषधी पसल,स्थानीय व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नविकरण तथा नियमन आदि सेवामा सेवा शुल्क दस्तुर तोक्यो लगाइनेर उठाइनेछ ।

(४) दफा (१), (२) र (३) बमोजिम लगाइने सेवा शुल्क, दस्तुरको दर अनुसूची (७) मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

१०. विक्री तथा निकासी शुल्क : (१) नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति वा आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थलबाट उत्पादन हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुहरूको विक्री गर्न सक्नेछ ।

व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेको जग्गाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदिको व्यावसायिक उत्पादन गरि गरिने विक्री वितरण सम्बन्धमा कार्यपालिकाले कार्यविधि बनाई शुल्क लगाई असुल उपर गर्न र नियमन गर्न सक्नेछ ।

(२) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रउत्पादन भै आफ्नो सिमाक्षेत्रभन्दा बाहिर निकासी हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको वाट्य निकासीमा निकासी शुल्क लगाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने विक्री करको दर अनुसूची (८) मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा रहेका काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर प्रचलितकानून बमोजिम मूल्यांकन गराई विक्री गर्न सक्नेछ ।

(५) कार्यपालिकालेआफ्नो प्रयोगमा नआउने पुराना र कामनलाग्ने वस्तु, उपकरण तथा सामानहरू लिलामविक्री गर्न सक्नेछ ।

(६) कार्यपालिकाले नागरिकको सुविधाकोलागि विभिन्न फाराम तथा पुस्तकहरू वा अन्य सेवा विक्री गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (१) बमोजिमका वस्तुहरू विक्री तथा उपदफा (२) बमोजिमको निकासी शुल्क असूलीका लागि विक्री तथा निकासीको परिमाण तथा दर निर्धारण गरी बोलपत्र, दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमबाट समेत गर्न सकिनेछ ।

११. नक्सापास दस्तुर : नगरक्षेत्रभित्र निर्माण गरिने भवनको नक्सापास दस्तुर अनुसूची (९) बमोजिम लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

१२. दण्ड जरिवाना : (१) नगरपालिकालेनिर्धारण गरेको कर, शुल्क तथा महसुल तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेमा यस ऐनमा वा अन्य सम्बन्धित कानूनमा दर तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा कार्यपालिकाबाट निर्धारित दरमा जरीवाना सहित बक्यौता असुल गर्नेछ ।

(२) नगरपालिकालेउपदफा (१) बाहेक प्रचलित कानून पालना नगरेको कसूरमा लगाउने अन्य दण्ड जरिवाना रकम सम्बन्धित कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. कर छुट : (१) दफा २ मा भएको व्यवस्था बाहेक बार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने राजश्व सोही आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्र र मासिक रुपमा तिर्नुपर्ने राजश्वको हकमा महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र बुझाउने करदातालाई नियमानुसार लाग्ने राजश्वको क्रमशः दश र पाँच प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

(२) विपद् वा अन्य यस्तै प्रकृतिका विशेष परिस्थितिको कारणले करदाताहरूले कर भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई नगरसभाको निर्णय बमोजिम कर वा जरिवाना छुट दिन सकिनेछ ।

(३) कानूनमा ब्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक नगरपालिकाको कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रकारको कर, शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना छुट दिन पाउने छैन ।

तर स्थानीय आर्थिक कृयाकलापमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने किसिमका उद्योग व्यवसायमा निश्चित अवधीसम्म सभाले बनाएको कानून बमोजिम कर, दस्तुर, शुल्क छुट दिन बाधा पर्ने छैन ।

१४. प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन : (१) नगरपालिकाले गरेको कर, शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझेमा करदाताले नगरपालिकामा प्रशासकीय पुनरावलोकनकोलागि निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि कार्यपालिकाले प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित विषय विज्ञ समेत रहने गरी तीन सदस्यीय राजश्व प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछ । यस्तो समितिमा कर निर्धारणमा सम्लग्न पदाधिकारी वा कर्मचारीको सहभागिता रहनेछैन ।

- (३) उपदफा (१) बमोजिम पुनरालोकनकोलागि प्राप्त भएको निवेदन उपर पैतिस दिनभित्र छानविन तथा निर्णय गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्णयको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
- (४) नगरपालिकाले तोकिएको समयमा यस दफा बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन नगरेको कारणले करदालाई थप आर्थिक भार पर्न गई हानी नोक्सानी पर्न गएमा नगरपालिकाले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ ।

१५. ठेक्का आह्वान गर्न सक्ने : (१) यस ऐन बमोजिम संकलन गर्ने सेवा शुल्क र दस्तुर कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार एक आर्थिक वर्ष वा आवश्यकता अनुसार सो भन्दा बढिको लागि आय ठेक्का बन्दोवस्त गरी संकलन गर्नसक्नेछ ।

- (२) यस दफा बमोजिमकोआय ठेक्का दिदा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
- (३) नगरपालिकाले सामान्यतया आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगावै ठेक्का बन्दोवस्त गरी ठेक्का सम्झौता कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।

१६. सहयोग गर्नुपर्ने : संघीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूले नगरपालिकाको राजस्व असुली कार्यमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१७. साभेदारी गर्न सक्ने : नगरपालिकाले संकलन गर्ने कर, सेवा शुल्क वा दस्तुर संकलन गर्न कुनै उपयुक्त सस्थासंग साभेदारी गर्दा संकलन कार्य प्रभावकारी र मितव्ययि हुने देखिएमा कार्यपालिकाले निर्णय गरि कार्यविधि बनाई साभेदारीमा गर्न सक्नेछ ।

१८. कार्यविधि बनाउन सक्ने : (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नगरपालिकाले आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।

- (२) विभिन्न अनुसूचीमा उल्लेख भएको कर दस्तुर, सेवा शुल्क वा दण्ड जरिवाना आदीमा कुनै शीर्षक छुट्टन गएको अवस्थामा कार्यपालिकाले निर्णय गरि त्यस्तो शीर्षक थप गर्न तथा कर, दस्तुर, सेवाशुल्क निर्धारण गरि असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

१९. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस ऐनमा उल्लेख गरिएका विषयहरूमा यसै बमोजिम र उल्लेख नगरिएका विषयमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

अनुसुचि (१)
(ऐनको दफा २ को उपदफा २ सँग सम्बन्धित)

१ .सम्पत्ति करको दर

| क्र.सं. | सम्पत्ति मूल्याङ्कनको विवरण | करको दर रु. |
|---------|----------------------------------|-------------|
| १. | रु. १ देखि रु. २ लाखसम्म | ५०।०० |
| २. | रु. २ लाख १ देखि रु. ३ लाखसम्म | ७०।०० |
| ३. | रु. ३ लाख १ देखि रु. ४ लाखसम्म | ९०।०० |
| ४. | रु. ४ लाख १ देखि रु. ५ लाखसम्म | ११०।०० |
| ५. | रु. ५ लाख १ देखि रु. ६ लाखसम्म | १४०।०० |
| ६. | रु. ६ लाख १ देखि रु. ७ लाखसम्म | १७०।०० |
| ७. | रु. ७ लाख १ देखि रु. ८ लाखसम्म | २००।०० |
| ८. | रु. ८ लाख १ देखि रु. ९ लाखसम्म | २३०।०० |
| ९. | रु. ९ लाख १ देखि रु. १० लाखसम्म | २६०।०० |
| १०. | रु. १० लाख १ देखि रु. १२ लाखसम्म | ३००।०० |
| ११. | रु. १२ लाख १ देखि रु. १४ लाखसम्म | ३४०।०० |
| १२. | रु. १४ लाख १ देखि रु. १६ लाखसम्म | ३८०।०० |
| १३. | रु. १६ लाख १ देखि रु. १८ लाखसम्म | ४२०।०० |
| १४. | रु. १८ लाख १ देखि रु. २० लाखसम्म | ४६०।०० |
| १५. | रु. २० लाख १ देखि रु. २२ लाखसम्म | ५२०।०० |
| १६. | रु. २२ लाख १ देखि रु. २४ लाखसम्म | ५८०।०० |
| १७. | रु. २४ लाख १ देखि रु. २६ लाखसम्म | ६४०।०० |
| १८. | रु. २६ लाख १ देखि रु. २८ लाखसम्म | ७००।०० |

| क्र.सं. | सम्पत्ति मूल्याङ्कनको विवरण | करको दर रु. |
|---------|---|-------------|
| १९. | रु. २८ लाख १ देखि रु. ३० लाखसम्म | ७६०।०० |
| २०. | रु. ३० लाख १ देखि रु. ३४ लाखसम्म | ८६०।०० |
| २१. | रु. ३४ लाख १ देखि रु. ३८ लाखसम्म | ९६०।०० |
| २२. | रु. ३८ लाख १ देखि रु. ४२ लाखसम्म | १०६०।०० |
| २३. | रु. ४२ लाख १ देखि रु. ४६ लाखसम्म | १२६०।०० |
| २४. | रु. ४६ लाख १ देखि रु. ५० लाखसम्म | १३६०।०० |
| २५. | रु. ५० लाख १ देखि रु. ६० लाखसम्म | १६००।०० |
| २६. | रु. ६० लाख १ देखि रु. ७० लाखसम्म | १९००।०० |
| २७. | रु. ७० लाख १ देखि रु. ८० लाखसम्म | २२००।०० |
| २८. | रु. ८० लाख १ देखि रु. ९० लाखसम्म | २५००।०० |
| २९. | रु. ९० लाख १ देखि रु. १ करोडसम्म | २८००।०० |
| ३०. | रु. १ करोड १ देखि रु. १ करोड २० लाखसम्म | ३५००।०० |
| ३१. | रु. १ करोड २० लाख १ देखि रु. १ करोड ६० लाखसम्म | ६०००।०० |
| ३२. | रु. १ करोड ६० लाख १ देखि रु. २ करोडसम्म | १००००।०० |
| ३३. | रु. २ करोड १ देखि रु. २ करोड २० लाखसम्म | १४०००।०० |
| ३४. | रु. २ करोड २० लाख १ देखि रु. २ करोड ७० लाखसम्म | १८०००।०० |
| ३५. | रु. २ करोड ७० लाख १ देखि रु. ३ करोड ३० लाखसम्म | २२०००।०० |
| ३६. | रु. ३ करोड ३० लाख १ देखि रु. ४ करोडसम्म | २६०००।०० |
| ३७. | रु. ४ करोड १ देखि रु. ४ करोड ५० लाखसम्म | ३००००।०० |
| ३८. | रु. ४ करोड ५० लाख १ देखि रु. ५ करोडसम्म | ३५०००।०० |
| ३९. | रु. ५ करोड १ देखि माथि जति भए पनि प्रति हजार रु. २ रुपैयाका दरले सम्पत्ति कर लाग्ने | |

२. उल्लेखित बमोजिमको कर योग्य रकम गणना गर्दा देहायको मूल्यांकन दर अनुसार गरिनेछ।

क.सडकले छोएको क्षेत्र

| सडक क्षेत्र | देखि | सम्म | विवरण | मूल्याङ्कन (प्रति रोपनी) रु. |
|-------------------------|------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| १. लामोसाँगु - जिरी सडक | खावा डाँडा बजारक्षेत्र | | मुल सडकले छोएको कित्ता | १५लाख |
| | बजारक्षेत्र सकिएपछि | जेम एकेडेमी छुट्ने सडक | मुल सडकले छोएको कित्ता | ५लाख |
| | जेम एकेडेमी छुट्ने सडक | सेराकाप्ती छुट्ने सडक | मुल सडकले छोएको कित्ता | २० लाख |
| | सेराकाप्ती छुट्ने सडक | वडा न ६ को सिमाना | मुल सडकले छोएको कित्ता | १० लाख |
| | वडा न ६ को सिमाना | लिंकन बसपार्क | मुल सडकले छोएको कित्ता मुल सडक बाट बौध स्तुपा ,भोलुडगे पुल र फ्रेण्डसिपको सभाहल | ६० लाख २० लाख |
| जिरी खिम्ती सडक | बस पार्क | खिम्ती खोला | मुल सडकले छोएको कित्ता | ३ लाख |
| २. जिरी माली श्यामा सडक | डम्पिड साइड | स्टोन पार्क | मुल सडकले छोएको कित्ता | कुथामे डाँडा सम्म ३ लाख र बाँकि २ लाख |

| | सडक क्षेत्र | देखि | सम्म | विवरण | मूल्याङ्कन (प्रति रोपनी) रु. |
|----|------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| ३. | खावा डाँडा लहरेमाने सडक | खावा डाँडा | चिपचिपे छुट्टने सडक | मुल सडकले छोएको कित्ता | १० लाख |
| | | चिपचिपे छुट्टने सडक | हाँवाको सिमाना | मुल सडकले छोएको कित्ता | ३ लाख |
| ४. | हाटडाँडा पुरानो गाँउ सडक | हाटडाँडा | हाँवाको सिमाना | मुल सडकले छोएको कित्ता | ५ लाख |
| ५. | हाटडाँडा माथिल्लो सिक्री सडक | हाटडाँडा | ठुकडाँडा | मुल सडकले छोएको कित्ता | ३ लाख |
| ६. | लिङ्कन सेराकाप्ती सडक | वडा न ५ को भोलुङ्गे पुल | आरन डाँडा | मुल सडकले छोएको कित्ता | १० लाख |
| | | आरन डाँडा | ल्लोसा गुम्बा | मुल सडकले छोएको कित्ता | ७ लाख |

'क' मा उल्लेखित बाहेकका बाँकी क्षेत्र :

| क्र.स. | ठेगाना | जग्गा | |
|--------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| | | क्षेत्र | मूल्याङ्कन (प्रति रोपनी) रु. |
| १. | जि न.पा. वडा नं. १ | आवादी/कृषि क्षेत्र | १ लाख |
| | | बाँझो/पाखावारी | ५० हजार |
| २. | जि न.पा. वडा नं. २ | आवादी/कृषि क्षेत्र | १ लाख |
| | | बाँझो/पाखावारी | ५० हजार |
| ३. | जि.न.पा. वडा नं. ३ | आवादी/कृषि क्षेत्र | १ लाख |
| | | बाँझो/पाखावारी | ८० हजार |
| ४. | जि.न.पा. वडा नं. ४ | आवादी/कृषि क्षेत्र | ३ लाख |
| | | बाँझो/पाखावारी | १ लाख |
| ५. | जि .न.पा. वडा नं. ५ | आवादी/कृषि क्षेत्र | ५ लाख |
| | | बाँझो/पाखावारी | १५० हजार |
| ६. | जि न.पा. वडा नं. ६ | आवादी/कृषि क्षेत्र | ३ लाख |
| | | बाँझो/पाखावारी | १ लाख |
| ७. | जि न.पा. वडा नं. ७ | आवादी/कृषि क्षेत्र | ३ लाख |
| | | बाँझो/पाखावारी | १ लाख |
| ८. | जि न.पा. वडा नं. ८ | आवादी/कृषि क्षेत्र | २ लाख |
| | | बाँझो/पाखावारी | ८० हजार |
| ९. | जि न.पा. वडा नं. ९ | आवादी/कृषि क्षेत्र | २ लाख |
| | | बाँझो/पाखावारी | ८० हजार |

सम्पत्ति कर संकलन प्रयोजनको लागि

ख .घरको मूल्याङ्कन :

| क्र.स. | घरको वर्गीकरण/बनोट | दर (प्रति वर्गफिट) रु. |
|--------|--|------------------------|
| १. | काठ/जस्ताको बार र जस्ताको छानो | १००१- |
| २. | दुङ्गा माटोको गाह्रो र जस्ताको छानो | २५०१- |
| ३. | दुङ्गा र सिमेन्ट जोडाइको गाह्रो र जस्ताको छानो | ३५०१- |
| ४. | ईटा र सिमेन्ट जोडाइको गाह्रो र जस्ताको छानो | ३५०१- |
| ५. | ब्लक जोडाइको गाह्रो र जस्ताको छानो | ३५०१- |
| ६. | दुङ्गा र सिमेन्ट जोडाइको गाह्रो र ढलान | ४००१- |

| क्र.सं. | घरको वर्गीकरण/बनोट | दर (प्रति वर्गफिट) रु. |
|---------|-------------------------------------|------------------------|
| ७. | ईटा र सिमेन्ट जोडाइको गाह्रो र ढलान | ४००१- |
| ८. | आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर र ढलान | ५००१- |

नोट : घरको क्षेत्रफल यकिन गर्दा प्रत्येक तलाहरूको क्षेत्रफल जोडेर जम्मा क्षेत्रफल निर्धारण गरिने छ ।

ग. सम्पत्ति कर प्रयोजनका लागि घरको मूल्याङ्कन गर्दा गरिने हास कट्टी : सम्पत्ति कर लगाउने प्रयोजनका लागि घरको मूल्याङ्कन गर्दा देहायबमोजिम हास कट्टी गरिने छ ।

| क्र.सं. | घरको वर्गीकरण/बनोट | प्रति वर्ष हास कट्टी दर प्रतिशत |
|---------|--|---------------------------------|
| १. | काठ/जस्ताको बार र जस्ताको छानो | ३ |
| २. | ढुङ्गा माटोको गाह्रो र जस्ताको छानो | २ |
| ३. | ढुङ्गा र सिमेन्ट जोडाइको गाह्रो र जस्ताको छानो | १.५० |
| ४. | ईटा र सिमेन्ट जोडाइको गाह्रो र जस्ताको छानो | १.५० |
| ५. | ब्लक जोडाइको गाह्रो र जस्ताको छानो | १.५० |
| ६. | ढुङ्गा र सिमेन्ट जोडाइको गाह्रो र ढलान | १.२५ |
| ७. | ईटा र सिमेन्ट जोडाइको गाह्रो र ढलान | १.२५ |
| ८. | आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर र ढलान | १ |

अनुसूची २

(ऐनको दफा ३संग सम्बन्धित)

मालपोत

१. मालपोत (मालपोतकर संकलनको आधार)

क.सडकले छोएको क्षेत्र

| क्र.सं. | सडक क्षेत्र | देखि | सम्म | विवरण | मालपोत दर (न्यूनतम देखि प्रति रोपनी) रु. |
|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| १. | लामोसाँगु - जिरी सडक | खावा डाँडा बजारक्षेत्र | | मुल सडकले छोएको कित्ता | २००१- |
| | | बजारक्षेत्र सकिएपछि | जेम एकेडेमी छुट्ने सडक | मुल सडकले छोएको कित्ता | १००१- |
| | | जेम एकेडेमी छुट्ने सडक | सेराकाप्ती छुट्ने सडक | मुल सडकले छोएको कित्ता | ३००१- |
| | | सेराकाप्ती छुट्ने सडक | वडा न ६ को सिमाना | मुल सडकले छोएको कित्ता | २००१- |
| | | वडा न ६ को सिमाना | लिंकन बसपार्क | मुल सडकले छोएको कित्ता मुल सडक बाट बौध स्तुपा ,भोलुङ्गे पुल र फ्रेण्डसिपको सभाहल | ५००१- ३००१- |
| | जिरी खिम्ती सडक | बस पार्क | खिम्ती खोला | मुल सडकले छोएको कित्ता | १००१- |
| २. | जिरी माली श्यामा सडक | डम्पिङ साइड | स्टोन पार्क | मुल सडकले छोएको कित्ता | वडा न.४ मा पर्ने जग्गाको ९०१- वडा न.१,२,३ मा पर्ने जग्गाको ७०१- |
| ३. | खावा डाँडा लहरेमाने सडक | खावा डाँडा | चिपचिपे छुट्ने सडक | मुल सडकले छोएको कित्ता | ८०१- |
| | | चिपचिपे छुट्ने सडक | हाँवाको सिमाना | मुल सडकले छोएको कित्ता | ६०१- |
| ४. | हाटडाँडा पुरानो गाँउ सडक | हाटडाँडा | हाँवाको सिमाना | मुल सडकले छोएको कित्ता | वडा न.७ मा पर्ने जग्गाको १००१ - |
| | | | | | वडा न.८ र ९ मा पर्ने जग्गाको ८०१- |

| क्र.स. | सडक क्षेत्र | देखि | सम्म | विवरण | मालपोत दर (न्युनतम देखि प्रति रोपनी) रु. |
|--------|------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|--|
| ५. | हाटडाँडा माथिल्लो सिक्री सडक | हाटडाँडा | ठुकडाँडा | मुल सडकले छोएको कित्ता | ९०१- |
| ६. | लिडकन सेराकाप्ती सडक | वडा न ५ को भोलुङ्गे पुल | आरन डाँडा | मुल सडकले छोएको कित्ता | १२०१- |
| | | आरन डाँडा | ल्लोसा गुम्बा | मुल सडकले छोएको कित्ता | ११०१- |
| ७. | हाटडाँडा बजार क्षेत्र | | | हाटडाँडा बजार क्षेत्र ३०० मी भित्र | २००१- |

१ 'क' मा उल्लेखित बाहेकका बाँकी क्षेत्र :

| क्र.स. | ठेगाना | जग्गा | |
|--------|---|--------------------|-----------------------------|
| | | क्षेत्र | मालपोत दर (प्रति रोपनी) रु. |
| १ | जि न.पा. वडा नं. १ | आवादी/कृषि क्षेत्र | २०१- |
| | | बाँभो/पाखावारी | १५१- |
| २ | जि न.पा. वडा नं. २ | आवादी/कृषि क्षेत्र | २०१- |
| | | बाँभो/पाखावारी | १५१- |
| ३ | जि.न.पा. वडा नं. ३ | आवादी/कृषि क्षेत्र | २५१- |
| | | बाँभो/पाखावारी | २०१- |
| ४ | जि.न.पा. वडा नं. ४ | आवादी/कृषि क्षेत्र | ५०१- |
| | | बाँभो/पाखावारी | ३०१- |
| ५ | जि .न.पा. वडा नं. ५ | | |
| | जि .न.पा. वडा नं. ५ जिरी लामोसाँघु भन्दा बाहिरी भोलुङ्गेपुल, बौद्ध स्तुपा, फ्रेण्डसिप सभाहल सम्को | आवादी/कृषि क्षेत्र | १,०००१- |
| | जि.न.पा. ५ जिरी भोलुङ्गेपुल देखि आरनडाँडा दुङ्गेसम्म | आवादी/कृषि क्षेत्र | २००१- |
| | आरनडाँडा देखि नावोक, नारेक, ताक्पा, लोसासम्म बाँकी क्षेत्र | आवादी/कृषि क्षेत्र | १५०१- |
| ६ | जि न.पा. वडा नं. ६ | आवादी/कृषि क्षेत्र | ८०१- |
| | | बाँभो/पाखावारी | ३०१- |
| ७ | जि न.पा. वडा नं. ७ | आवादी/कृषि क्षेत्र | ५०१- |
| | | बाँभो/पाखावारी | ३०१- |
| ८ | जि न.पा. वडा नं. ८ | आवादी/कृषि क्षेत्र | २०१- |
| | | बाँभो/पाखावारी | १५१- |
| ९ | जि न.पा. वडा नं. ९ | आवादी/कृषि क्षेत्र | २०१- |
| | | बाँभो/पाखावारी | १५१- |

अनुसुचि (३)
(ऐनको दफा ५ उपदफा ३ सँग सम्बन्धित)
व्यवसाय कर

क. व्यवसाय करको विवरण र दर :

| क्र.स. | व्यवसायको विवरण | कर/दस्तुर रु. | | व्यवसाय कर |
|--------|-----------------|---------------|--------|------------|
| | | दर्ता | नवीकरण | |
| १. | चुरोट र रक्सी | | | |
| | क) डिलर | २०००१- | १०००१- | ३०००१- |

| क्र.स. | व्यवसायको विवरण | कर/दस्तुर रु. | | व्यवसाय कर |
|--------|--|---------------|---------|------------|
| | | दर्ता | नवीकरण | |
| | ख) थोक बिक्रेता | ७००१- | ५००१- | १५००१- |
| | ग) खुद्रा बिक्रेता | ५००१- | २५०१- | १०००१- |
| २. | ज्वेलरी | | | |
| | क) सबै खाले गहना निर्माण तथा विक्री गर्ने | १००१- | ५००१- | २०००१- |
| ३. | कम्प्युटर, क्यामेरा, टेलिभिजन, रेडियो, मोबाइल, विद्युतीय सामान लगायतका इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल सामग्री | | | |
| | क) डिलर | २०००१- | १०००१- | ३०००१- |
| | ख) थोक बिक्रेता | १०००१- | ५००१- | २०००१- |
| | ग) खुद्रा बिक्रेता | ७५०१- | ३५०१- | १५००१- |
| ४. | निर्माण सामग्री सप्लायर्स तथा हर्डवयर पसल | | | |
| | क) डिलर | ५०००१- | २०००१- | १००००१- |
| | ख) थोक | ३५००१- | २०००१- | ७०००१- |
| | ग) खुद्रा | २५००१- | १०००१- | ५०००१- |
| ५. | फर्निचर तथा फर्नीसिड सामग्री | | | |
| | क) डिलर | ६०००१- | २५००१- | १००००१- |
| | ख) थोक बिक्रेता | ३०००१- | १५००१- | ५५००१- |
| | ग) खुद्रा बिक्रेता | २०००१- | १०००१- | ४०००१- |
| ६. | पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र ग्यास) | | | |
| | क) डिपो/डिलर/पेट्रोल पम्प | १०००१- | ५००१- | २०००१- |
| ७. | पेन्टर/रङ्ग | | | |
| | क) डिलर | ३०००१- | १५००१- | २०००१- |
| | ख) थोक बिक्रेता | २०००१- | १०००१- | १५००१- |
| | ग) खुद्रा बिक्रेता | १०००१- | ५००१- | २०००१- |
| ८. | दैनिक उपभोगका खाद्य पदार्थ (तरकारी, फलफुल, जुस र कोक फ्यान्टा, समेत) | | | |
| | क) थोक बिक्रेता | २०००१- | १०००१- | १५००१- |
| | ख) खुद्रा बिक्रेता | १०००१- | ५००१- | २०००१- |
| ९. | बेकरी | ५००१- | २५०१- | १०००१- |
| १०. | माछा/मासु | ५००१- | २५०१- | १०००१- |
| ११. | कपडा, फेन्सी, कस्मेटिक र जुता आदि : | | | |
| | क) थोक बिक्रेता | ६००१- | ५००१- | २०००१- |
| | ख) खुद्रा बिक्रेता | ५००१- | २५०१- | १०००१- |
| १२. | सवारी साधनको व्यापार र मर्मत | | | |
| | क) मोटर साइकल, स्कुटर, हाते टयाक्टर (पार्टस् समेत) | १०००१- | ५००१- | २०००१- |
| | ख) हल्का र हेभी (पार्टस् समेत) | ६००१- | २५०१- | १०००१- |
| १३. | परामर्श तथा अन्य व्यवसायीक सेवा (घर नक्सा बनाउने तथा लेखा परीक्षण कानूनी लगायतका व्यवसायिक सेवाहरु) | २५००१- | १५००१- | |
| १४. | निर्माण व्यवसाय | | | |
| | क) घ बर्गको निर्माण व्यवसाय दर्ता | २००००१- | | |
| | ख) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्र नविकरण गरेमा | | १००००१- | |
| | ग) ३ महिना पछि नविकरण गरेमा | | २००००१- | |
| | घ) एक पटक जिरी नगरपालिकाबाट घ बर्गको निर्माण व्यवसाय दर्ता वा नविकरण भई विगत आर्थिक वर्षदेखि नै | | २००००१- | |

| क्र.स. | व्यवसायको विवरण | कर/दस्तुर रु. | | व्यवसाय कर |
|--------|---|---------------|---------|------------|
| | | दर्ता | नवीकरण | |
| | व्यवसाय नवीकरण नभएको हकमा प्रति आर्थिक वर्षको लागि निर्माण व्यवसाय नवीकरण गरेवापत प्रति वर्ष | | | |
| | ड) प्रतिवर्ष व्यवसाय कर वापत (अन्य स्थानीय तहबाट घ वर्गको निर्माण व्यवसाय प्रमाणपत्र प्राप्त गरी जिरी नगरपालिकामा दर्ता हुन चाहेको निर्माण व्यवसायीका हकमा प्रथम पटक व्यवसाय दर्ता कर लाग्ने, जिरी नगरपालिकाबाट इजाजत लिएकोमा पुनः व्यवसाय दर्ता कर नलाग्ने) | | | ३०००/- |
| १५. | उत्पादन मूलक उद्योग (कोरा माल वा अर्ध प्रशोधित माल वा खेर गईरहेको माल सामानको वा अन्य माल सामान प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल सामान उत्पादन गर्ने उद्योग) | ५०००/- | २५००/- | २०००/- |
| १६. | उर्जा मूलक उद्योग | | | |
| | क) जललिद्युत आयोजना; ५०० किलोवाटसम्म | १००००/- | ७०००/- | ३०००/- |
| | ख) जललिद्युत आयोजना; ५०१ किलोवाटदेखि १ मेगावाटसम्म | १५०००/- | १००००/- | ५०००/- |
| १७. | वन्यजन्य उद्योग | | | |
| | क) वन पैदावारमा आधारित उद्योग (अल्लो, नेपाली कागज, कपास, खोटो लगायत) | ५०००/- | २०००/- | २०००/- |
| १८. | आवास, मोटेल, होटेल, रेष्टुरा, रिसोर्ट आदि, | | | |
| | क) ५ वटासम्म कोठा भएको | १०००/- | ५००/- | २०००/- |
| | ख) ५ वटा देखि १० वटासम्म कोठा भएका | १५००/- | १०००/- | २५००/- |
| | ग) सामान्य बास सहितको चिया खाजा होटल | ३००/- | १५०/- | ५००/- |
| १९. | सेवा उद्योग | | | |
| | क) छापाखाना | १०००/- | ५००/- | १०००/- |
| | ख) सार्वजनिक परिवहन (यातायात व्यवसाय सञ्चालन तथा ढुवानी) | १०००/- | ५००/- | १०००/- |
| | ग) ब्यूटी पार्लर केश सिंगार डाई किलनर्स, सिलाई, शैलुन आदि | ५००/- | २५०/- | १०००/- |
| | घ) डेरी उद्योग | ५००/- | २५०/- | १०००/- |
| २०. | संचार सेवा | | | |
| | क) मिडिया हाउस, रेडियो र एफ.एम. रेडियो | १००००/- | ५०००/- | २०००/- |
| | ख) निजी क्षेत्रका टेलिफोन, फ्याक्स, फोटोकपी,STD,ISTDइमेल, इन्टरनेट, पेजिड, साइवर आदि | १००००/- | २५००/- | ५०००/- |
| २१. | वित्तीय सेवा (नेपाल सरकारको पुर्ण र अधिकांश स्वामित्व रहेको बाहेक) | | | |
| | क) वाणिज्य बैंक | १५००००/- | ४००००/- | ७००००/- |
| | ख) विकास बैंक | १०००००/- | ३००००/- | ५००००/- |
| | ग) वित्तीय कम्पनी | १०००००/- | ३००००/- | ५००००/- |
| | घ) बीमा कम्पनी | १०००००/- | ३००००/- | ५००००/- |
| | ड) लघुवित्त कम्पनी | ५००००/- | ३००००/- | २००००/- |
| | च) सहकारी संस्था | ५००००/- | ३००००/- | २००००/- |
| | छ) अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संघ/संस्था | ५००००/- | ३००००/- | २००००/- |
| २२. | स्वास्थ्य सेवा | | | |
| | क) निजी क्षेत्रको अस्पताल/नर्सिङ होम | | | |
| | ख) पोली क्लिनिक | | | |

| क्र.स. | व्यवसायको विवरण | कर/दस्तुर रु. | | व्यवसाय कर |
|--------|--|---------------|--------|------------|
| | | दर्ता | नवीकरण | |
| | ग) क्लिनिक (डेन्टल क्लिनिक समेत) | १०००१- | ५००१- | २०००१- |
| | घ) औषधी पसल | १०००१- | ५००१- | २०००१- |
| २३. | शिक्षा सेवा | | | |
| | क) नीजि विद्यालय (सरकारी बाहेक) | ५०००१- | २०००१- | ३०००१- |
| २४. | अन्य व्यवसाय | | | |
| | क) साइन बोर्ड बनाउने, फ्लेक्स तयारी र पेन्टिङ्ग सेवा | ५००१- | २००१- | १०००१- |
| | ख) भाँडाकुँडा विक्रेता | १०००१- | ५००१- | २०००१- |
| | ग) मिल/कुटानी पिसानी | ३००१- | १५०१- | ५००१- |
| | ग) ग्रील उद्योग कारखाना | २५००१- | १२५०१- | ५०००१- |
| | घ) कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसाय पसल | १०००१- | २५०१- | ५००१- |
| २५. | स्टेस्नरी | | | |
| | क) थोक | १०००१- | ५००१- | २०००१- |
| | ख) खुद्रा | ५००१- | २५०१- | १०००१- |
| २६. | कवाडि पसल/सङ्कलन | १०००१- | ५००१- | १०००१- |
| २७. | पशु औषधी पसल तथा पशु उपचार | १०००१- | २५०१- | ५००१- |
| २८. | कृषि तथा पशुपाला व्यवसाय : | | | |
| | क) रु. १ देखि तीन लाखसम्म पुँजी | ५००१- | २००१- | ५००१- |
| | ख) रु. तीन लाख १ देखि दश लाखसम्म पुँजी | ७००१- | ३००१- | ७००१- |
| | ग) दश लाखभन्दा माथि पुँजी | १०००१- | ७००१- | ८००१- |
| २९. | एउटै व्यक्तिले डिलर, थोक र खुद्रा व्यवसाय सञ्चालन गरेमा डिलरको र थोक र खुद्रा व्यवसाय सञ्चालन गरेमा थोक व्यवसायको कर लाग्ने छ। | | | |
| ३०. | एउटै व्यवसायबाट एक भन्दा बढी वस्तु तथा सेवाको कारोबार गरेमा जुन वस्तु वा सेवाको व्यावसाय कर बढी छ सोही कर असुल गर्नुपर्ने छ। | | | |
| ३१. | अन्य संघ संस्था दर्ता | १०००१- | ५००१- | ७००१- |

अनुसूची(४)
(ऐनको दफा ६ सँग सम्बन्धित)
जडिबुटी, कवाडी, जीवजन्तु करको दर

जडिबुटी, वनकस

| क्र.सं. | व्यवसायिक कारोबारको विवरण | इकाई (प्रति केजी) करको दर रु. |
|---------|------------------------------|-------------------------------|
| १. | सुनपाती | ११५० |
| २. | मजिटो | ११५० |
| ३. | ओखरफलको बोक्रा | ११५० |
| ४. | चिराइतो | ५ |
| ५. | चुत्रोको बोक्रा | ०१५ |
| ६. | अल्लो | ११२५ |
| ७. | भ्याउ | ५ |
| ८. | अर्गेली | २१५० |
| ९. | लोक्ता | ५१५० |
| १०. | ठिंघ्रे सल्लाको सिम्टा | २० |
| ११. | धसिंगरे तेल | २० |
| १२. | तेजपात | ०११५ |
| १३. | गात्रे सल्लाको सिम्टा खोल्मे | ०१२५ |
| १४. | गात्रे सल्लाको पातको तेल | ३० |

| | | |
|-----|---|-----|
| १५. | धुपीपात | १५० |
| १६. | सुनपाती तेल | ५५ |
| १७. | साधारण च्याउ | २५० |
| १८. | नेपाली कागज | ६ |
| १९. | सल्लो/उत्तीस र अन्य बरामदी काठ (गोलीया) | ५ |
| २०. | सल्लो/उत्तीस र अन्य बरामदी काठ (चिरान) | ५५ |
| २१. | दाउरा (ट्याक्टर) | २०० |
| २२. | दाउरा (मिनीट्रक) | २५० |
| २३. | दाउरा (ट्रक) | ४०० |
| २४. | काठको भुस (ट्याक्टर) | २५ |
| २५. | काठको भुस (मिनीट्रक) | ५० |
| २६. | काठको भुस (भ्यान/ट्रक) | १०० |
| २७. | बाँस | २ |
| २८. | लोठसल्लाको पात | ५ |

ख. सबै प्रकारका कवाडी सामान संकलन गरि लैजाने व्यक्ति फर्म वा कम्पनिलाई लाग्ने दर:

| क्र.सं. | विवरण | इकाई (प्रति ट्रिप) करको दर रु. |
|---------|-----------|--------------------------------|
| १ | ट्याक्टर | ७००१- |
| २ | मिनीट्रक | १०००१- |
| ३ | ट्रक | १५००१- |
| ४ | ठुलो ट्रक | २०००१- |

अनुसूची (५)

(ऐनको दफा ७संग सम्बन्धित)

विज्ञापन करको दर

| क्र.सं. | विज्ञापन गरिएको सामग्रीको किसिम | करको दर रु. |
|---------|--|-------------|
| १ | सडक छेउमा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि राखिएको होर्डिङ्गबोर्ड प्रति वर्गफिट | २५१- |
| २ | भित्तेलेखन व्यक्तिगत वा सार्वजनिक भवन वा कम्पाउण्ड आदिमा प्रति वर्गफिट | २०१- |
| ३ | ग्लो साइन बोर्ड, डिपिएस बोर्ड प्रति वर्ग फिट | २०१- |
| ४ | तुल व्यानर बढीमा एक महिनाको लागि प्रतिवर्ग फिट | १०१- |

अनुसूची (६)

(ऐनको दफा ८ को उपदफा २ संग सम्बन्धित)

बहाल विरौटी शुल्कको दर

| क्र.सं. | विवरण | बहाल विरौटी शुल्कको दर |
|---------|--------------|------------------------------|
| १. | काठको टहरा | नगरकार्यपालिकाले तोके बमोजिम |
| २. | हाट बजार पसल | नगरकार्यपालिकाले तोके बमोजिम |
| ३. | घुम्ती टहरा | प्रति वर्ग मिटर |
| | क) समुह | रु ५०१- |
| | ख) समुह | रु ३०१- |
| | ग) समुह | रु २०१- |

नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा व्यक्तिले बनाएको संरचना वा न. पा. आफैले निर्माण गरेको व्यापारिक भवन ठेक्कामा लगाउन सकिनेछ। यस्तो संरचनामा लाग्ने मासिक शुल्क ठेक्का सम्झौतानुसार हुनेछ।

अनुसूची (७)

(ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ संग सम्बन्धित)

सेवा, शुल्क, दस्तुर

१. आयश्रोत मुल्याङ्कन सिफारिस शुल्क

| सि.नं. | विवरण | मुल्यांकन सेवा शुल्क दर | कैफियत |
|--------|----------------------------|-------------------------|--------|
| १. | आयश्रोतको कुल रकमको आधारमा | ०.२% | |

नोट : वैदेशिक अध्ययन प्रयोजनको लागि आयश्रोत प्रमाणित गर्न माग भै आएमा आयश्रोत मुल्यांकन दस्तुर न्यूनतम रु पाँच हजार लिईनेछ । उक्त प्रयोजनको लागि मुल्यांकन गरिने आयश्रोत जे जति भएपनि मुल्यांकन दस्तुर २० हजार भन्दा बढि लिईने छैन ।

२. सम्पत्ती मूल्यांकन सिफारिस शुल्क

- क सम्पत्ती मूल्यांकन सिफारिस शुल्क प्रति हजार ५० पैसाका दरले लिईने छ
 ख. घर जग्गाको मुल्याडकन सम्पत्तिकर प्रयोजनको लागि पेश गरे बमोजिम गरिने छ ।
 ग. भौतिक सरचनाको मुल्याडकन वा सिफारिस सम्बन्धमा नक्सा पास प्रमाण पत्र वा नक्सा पास दस्तुर बुझाएको निस्सा अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ ।

३. अमिन सेवा शुल्क

| सि.नं. | विवरण | दस्तुर रु. |
|--------|---------------------------------------|------------|
| १. | १ कित्ता सम्मको लागि | १०००१- |
| २. | १ कित्ता भन्दा बढी (थप प्रति कित्ता) | २००१- |

४. राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी दस्तुर :-

| सि.नं. | विवरण | दस्तुर रु. |
|--------|--|------------|
| १. | घटना दर्ता (३५ दिन भित्र) | निःशुल्क |
| २. | घटना दर्ता (३५ दिन पछि) | २००१- |
| ३. | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी दस्तुर | ५००१- |
| ४. | व्यक्तिगत घटना दर्ता किताबबाट अभिलेख उतार | २००१- |
| ५. | राष्ट्रिय परिचय पत्रको विलम्ब दस्तुर | २००१- |
| ६. | राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रतिलिपी दस्तुर | ५००१- |

५. सिफारिस दस्तुर

| सि. नं. | विवरण | सिफारिस दस्तुर रु |
|---------|--|-------------------|
| १. | नागरिकता | १००१- |
| २. | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस | २००१- |
| ३. | अङ्कित नागरिकता सिफारिस | १०००१- |
| ४. | सबै प्रकारका सिफारिस अंग्रेजी माध्यमबाट | ५००१ - |
| ५. | अन्य मुलुक जाने सिफारिस | १०००१- |
| ६. | नामथर/जन्ममिति फरक-फरक वा संशोधन आदि सिफारिस | १००१- |
| ७. | विद्युत तथा धारा जडान सिफारिस | २००१- |
| ८. | विद्युत/धारा नामसारी सिफारिस | २००१- |
| ९. | २५ कि.वा क्षमता सम्मको विद्युत लाइन जडान | १०००१- |
| १०. | ५० कि.वा क्षमता सम्मको विद्युत जाइन जडान | २०००१- |
| ११. | १०० कि.वा क्षमता सम्मको विद्युत जाइन जडान | ३०००१- |
| १२. | व्यवसाय दर्ता सिफारिस | |
| | क) रु १ देखि ५ लाख सम्मको पुँज भएको | ५००१- |
| | ख) रु ५ लाख देखि १० लाख सम्मको पुँज भएको | १०००१- |
| | ग) रु १० लाख देखि २० लाख सम्मको | १५००१- |
| | घ) व्यवसाय ठाउँसारी/नामसारी सिफारिस | ३००१- |

| | | |
|-----|--|------------|
| | ड) व्यापार व्यवसाय नभएको/संचालन नभएको सिफारिश | २००१- |
| | उद्योग दर्ता | |
| १३. | क) १० हर्ष पावर सम्मको | १०००१- |
| | ख) १०-२० हर्ष पावर सम्मको | १५००१- |
| | ग) २०-५० हर्ष पावर सम्मको | २०००१- |
| | घ) ५० हर्ष पावर भन्दा माथिको | ३०००१- |
| | ड) उद्योग ठाउँसारी/नामसारी | १०००१- |
| | चौपाया सम्बन्धि सिफारिश | २००१- |
| | व्यक्तिगत विवरण सिफारिश | २००१- |
| | संरक्षक (व्यक्तिगत/संस्थागत) सिफारिश | २००१- |
| १४. | नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिश (साविकको बाटोमा) | ५००१- |
| १५. | नक्सापास नामसारी सिफारिस नक्सापास रकमको २० प्रतिशत | |
| १६. | पक्की घर निर्माणको लागि काठपात ल्याउने सिफारिस | १०००१- |
| १७. | कच्ची घर बनाउनको लागि काठपात ल्याउने सिफारिस | ५००१- |
| १८. | संस्था दर्ता सिफारिश | ५००१- |
| १९. | सहकारी संस्था दर्ता सिफारिस | १०००१- |
| २०. | विद्यालय/शिक्षा सम्बन्धि | |
| | विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति | १००००१- |
| | व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिम केन्द्र सञ्चालन | १००००१- |
| | कक्षा वृद्धि सिफारिस निजी | ३०००१- |
| | कोचिङ/ट्युसन कक्षा सञ्चालन | २०००१- |
| | विद्यालय ठाउँसारी | १०००१- |
| २१. | दलित जनजाती सिफारिश | १००१- |
| २२. | निशुल्क स्वास्थ्य उपचार/ अपाङ्ग सिफारिश | निशुल्का- |
| २३. | जिवित रहेको सिफारिश | २००१- |
| २४. | चारित्रिक सिफारिश/छात्रवृत्ति सिफारिश | २००१- |
| २५. | जग्गा धनिदर्ता प्रमाण-पूजाको प्रतिलिपि सिफारिश/पुर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिश | २००१- |
| २६. | घर/कोठा खोल्ने | ५००१- |
| २७. | उजुरी मिलापत्र लिखित जवाफ दायरी | ५०१- |
| २८. | रुख कटान प्रतिगोटा | ५०१- |
| २९. | जन्म मिति, विवाह, घरपाताल, कागज मञ्जुरीनामा, हकवालाका हकदार, अविवाहित, प्रमाणित | २००१- |
| ३०. | जग्गा सम्बन्धि सिफारिस | |
| ३१. | घरबाटो प्रमाणित प्रतिक्रिया | |
| ३२. | घर अन्तिम निरीक्षण सिफारिस (पुनःनिर्माण) | ५००१- |
| ३३. | लामुसाँघु जिरी सडकसँग जोडिएका जग्गा अंसबन्डा/बेचविखन भएमा | ५००/१०००१- |
| | कच्ची ग्रावेल जिल्ला सडकसँग जोडिएका जग्गा अंसबन्डा/बेचविखन भएमा | ४००/५००१- |
| | ग्रामिण सडकसँग जोडिएका जग्गा तथा अन्य जग्गाहरु अंसबन्डा/बेचविखन भएमा | २००/३००१- |
| ३४. | चार किल्ला प्रमाणित | |
| | क) वित्तिय कारोबार प्रति कित्ता (नोट: एकै मितिमा सिफारिस दिनु परेमा मुल सडक बाहेक भित्री सहायक सडकसँग जोडिएका वा अन्य थप जग्गाको हकमा थप प्रति कित्ता रु.३००१-) | ५००१- |
| | ख) अन्य प्रयोजनको लागि | ३००१- |
| ३५. | जग्गा नामसारी सिफारिस | ५००१- |

| | | |
|-----|---|---------------------|
| ३६. | छुट्टे जग्गा नामसारी/दर्ता सिफारिश | ५००१- |
| ३७. | सर्जमिन सहित जग्गा नामसारी/दर्ता सिफारिश | १०००१- |
| ३८. | जग्गा धनि प्रतिलिपि सिफारिस | २००१- |
| ३९. | जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा फोटो टाँस सिफारिस | २००१- |
| ४०. | हकबन्दी फुकुवा | २०००१- |
| ४१. | स्थलगत सर्जमिन सबै | २००१- |
| ४२. | हकदार सिफारिस | २००१- |
| ४३. | तिन पुस्ते सिफारिस | २००१- |
| ४४. | नाता प्रमाणित | २००१- |
| ४५. | कृषि फर्म दर्ता | ५००१- |
| ४६. | खानेपानी मुहान दर्ता सिफारिस | १०००१- |
| ४७. | खानेपानी/सिंचाई नविकरण | ५००१- |
| ४८. | योजना तथा आयोजनाहरु दातृ नियकायहरुसँग माग सिफारिस | १०००१- |
| ४९. | लघु जलविद्युत आयोजना १ मेघावट भन्दा कमको सर्वेक्षण अनुमति सिफारिस | ५०००१- |
| ५०. | लघु जलविद्युत आयोजना १ मेघावट भन्दा माथि १० मेघावाट सम्मको सर्वेक्षण अनुमति सिफारिस | १०,०००१ - |
| ५१. | जलविद्युत आयोजना १० मेघावट भन्दा माथि सर्वेक्षण अनुमति सिफारिस | ५०,०००१- |
| ५२. | टेण्डर फाराम/ दरभाउ पत्र विक्री | सूचनामा तोके अनुसार |
| ५३. | अन्य सिफारिस शुल्क | १५०१- |

६. फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क (मासिक) निम्नानुसार लगाइने छ :

| क्र.स. | विवरण | सेवा शुल्क दर रु. |
|--------|---|--|
| १. | आवासीय घर पक्की आवसीय घर कच्ची | २००१- ५०१- |
| २. | व्यवसायिक घर कच्ची क) थप प्रति पसल/सटर व्यवसायिक घर पक्की क) सामान्य (किनारा, लुगा, औषधी तथा अन्य) पसल ख) सामान्य प्रकृतिका चिया खाजा घर पसल भए प्रति पसल थप सामान्य प्रकृतिका होटल, रेष्टुरेन्ट थप ठुला प्रकृतिका होटल लज | ५०१- ५०१- २००१- ५०१- १००१- १००१- ५००१- |
| ३. | हस्पिटल | १५००१- |
| ४. | अन्य संघ संस्था | ५००१- |
| ५. | निजी विद्यालय | १०००१- |
| ६. | मेला, महोत्सव लगायतका कार्यक्रम (एक पटकको) | २०००१- |
| ७. | उद्योगहरु तथा बधशाला | ५००१- |
| ८. | निर्माणाधिन भवन (एकमुष्ट) | ५००१- |
| ९. | बसपार्कमा पार्किङ्ग गर्ने सार्वजनिक बस तथा माइक्रोबसलाई (दैनिक) | १०१- |

७. खानेपानीको मुहान दर्ता

| क्र.स. | विवरण | सेवा शुल्क दर रु. |
|--------|----------------------------|-------------------|
| १. | खानेपानी मुहान दर्ता शुल्क | १,०००१- |

८. उपभोक्ता समिति दर्ता/नविकरण

| क्र.स. | विवरण | सेवा शुल्क दर रु. |
|--------|----------------------|-------------------|
| १. | उपभोक्ता समिति दर्ता | १,०००१- |

| | | |
|----|-----------------------------|-------|
| २. | उपभोक्ता समिति दर्ता नविकरण | ५००१- |
|----|-----------------------------|-------|

नोट: नगरपालिका बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि ।

९. समूह दर्ता/नविकरण

| क्र.स. | विवरण | सेवा शुल्क दर रु. |
|--------|-------------------|-------------------|
| १. | समूह दर्ता | ५००१- |
| २. | समूह दर्ता नविकरण | २००१- |

अनुसूची (८)
दफा १० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित
विक्री शुल्क दर

| क्र. सं. | विक्री हुने बस्तु | शुल्क दस्तुर (रकम रु.) |
|----------|--|------------------------|
| १. | प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुहरुको विक्री प्रति घनफीट : | |
| | क) ढुंगा | २१- |
| | ख) गिट्टी | २१- |
| | ग) बालुवा | २१- |
| | घ) माटो | १५०पैसा |
| | ङ) काठ | |
| | १) चिरान | ३५० |
| | २) गोलिया | ३१- |

अनुसूची (९)
(ऐनको दफा ११ सँग सम्बन्धित)

१. नक्सापास दस्तुर

(क) आवासिय भवन

| सि.नं. | भवनको प्रकार | वेसमेन्ट तलाप्रति वर्ग फिट रु. | भूईँ तल्ला (प्रति वर्ग फिट) रु. | पहिलो तल्ला (प्रति वर्ग फिट) रु. | दोश्रो तला (प्रति वर्ग फिट) रु. | तेस्रो तला र सो भन्दा माथि(प्रति वर्ग फिट) रु. |
|--------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| १. | आर.सि.सि. पिल्लर भएको । | ४१- | ५१- | ६१- | ७१- | ८१- |
| २. | ढुङ्गा वा इँटा वा ब्लकमा सिमेन्ट बालुवाको गारो - आर. सि. सि. को छाना भएको । | - | ४१- | ५१- | ६१- | - |
| ३. | सिमेन्टको जोडाइमा ढुङ्गा वा इँटा वा ब्लकको गारो - जस्ता वा टाएलको छाना भएको । | - | ३१- | ४१- | - | - |
| ४. | पटाहाको घेराबेरा लगाएतका कच्ची भवन । | - | ११- | ११- | - | - |

(ख) व्यापारिक भवन

| सि.नं. | भवनको प्रकार | वेसमेन्ट तला(प्रति वर्ग फिट) रु. | भूईँ तल्ला (प्रति वर्ग फिट) रु. | पहिलो तल्ला (प्रति वर्ग फिट) रु. | दोश्रो तला (प्रति वर्ग फिट) रु. | तेस्रो तला र सो भन्दा माथि (प्रति वर्ग फिट)रु. |
|--------|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| १. | आर.सि.सि. पिल्लर भएको । | ६१- | ७१- | ८१- | ९१- | १०१- |
| २. | ढुङ्गा वा इँटा वा ब्लकमा सिमेन्ट बालुवाको गारो - आर. सि. सि. को छाना भएको । | - | ६१- | ७१- | ८१- | - |
| ४. | सिमेन्टको जोडाइमा ढुङ्गा वा इँटा वा ब्लकको गारो - जस्ता वा टाएलको छाना भएको । | - | ४१- | ५१- | - | - |

नोट: मठ-मन्दिर, गुम्बा, मदरसा, चर्च लगायतका धार्मिक संरचना र भुकम्प पिडित भई रातो कार्ड प्राप्त ब्यक्तिले पहिलो पटक निमार्ण गर्ने भवनको नक्सा पास गर्दा कुनै प्रकारको शुल्क/दस्तुर लिइने छैन ।

(ग)१. दण्ड जरिवाना

नक्सा पास विना भवन निर्माण गरेमा निज उपर देहायबमोजिम दण्डजरिवाना लाग्ने छ, तर मापदण्ड विपरित बनेको/ बन्ने घरहरुको हकमा नक्सा पास हुने छैन ।

| सि. नं. | विवरण | लाग्ने जरिवानाका दरले हुन आउने रकम रु. |
|---------|-------|--|
|---------|-------|--|

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------|
| १ | जगको कार्य सम्पन्न | नक्सापास दस्तुरको २५% |
| २ | डि.पि.सि.को कार्य सम्पन्न | नक्सापास दस्तुरको ३५% |
| ३ | गाह्रो लगाउने कार्य सम्पन्न | नक्सापास दस्तुरको ३५% |
| ४ | ढलानको कार्य सम्पन्न | नक्सापास दस्तुरको ७५% |
| ५ | निर्माण कार्य सम्पन्न | नक्सापास दस्तुरको १००% |

नोट :- उल्लेखित जरिवाना निर्माण भएको तल्लाको आधारमा लिइनेछ ।

(ग)२. भवन तला थपमा

| सि. नं. | विवरण | दस्तुरका दरले हुन आउने रकम रु. |
|---------|---------------------|--------------------------------|
| १. | गाह्रो लगाउने कार्य | नक्सापास दस्तुरको ५०% |
| २. | पहिलो ढलानको कार्य | नक्सापास दस्तुरको ७५% |
| ३. | दोस्रो ढलानको कार्य | नक्सापास दस्तुरको १००% |

पुनश्च : माथि उल्लेख भएको कर तथा गैर कर राजश्व थप घट गर्नु परे तथा उल्लेख नभएको हकमा राजश्व परापर्श समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी कर तथा दस्तुर निर्धारण गरिने छ ।